

आपत्तियों के अनुपालन: 94.293 ha. Revenue Forest land

क्र.	आपत्तियों का विवरण	अनुपालन
1.	गेवरामाइन लीज का Coordinates देवें। जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो।	डी जी पी एस कोऑर्डिनेट्स दिखाते हुए नक्शा अपलोड किया गया है।
2.	c(iii) survey of india Toposheet map में यूजरएंजेसी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें। इंडेक्स एवं नक्शे में आर.एफ./पी.एफ. /राजस्व वन क्षेत्र /राजस्व गैर वन क्षेत्र/ निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा है यह भी देवें) survey of india Toposheet map 1:50000 के Resolution में दिखाये।	Survey of India Toposheet in 1:50000 scale में यूजरएंजेसी के हस्ताक्षर सहित अपलोड किया गया है। साथ ही वन मंडलाधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित किया गया है । आवेदित क्षेत्र राजस्व वन भूमि है एवं ग्रामवारखसरावार विवरण नक्शे पर दर्शित है। पूरे खदान क्षेत्र में आर.एफ./पी.एफ. /राजस्व वन क्षेत्र /राजस्व गैर वन क्षेत्र/ निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा है इसकी जानकारी अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड की गई है।
3.	C(iv)Geo-referenced map में यूजरएंजेसी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें। इंडेक्स एवं नक्शे में आर.एफ./पी.एफ. /राजस्व वन क्षेत्र /राजस्व गैर वन क्षेत्र/ निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा है यह भी देवें) Geo-referenced map 1:50000 के Resolution में दिखाये।	Geo-Referenced map 1:10000 scale में बनाया गया है एवं यूजरएंजेसी के हस्ताक्षर सहित अपलोड किया गया है। साथ ही वन मंडलाधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित किया गया है । आवेदित क्षेत्र राजस्व वन भूमि है एवं ग्रामवारखसरावार विवरण नक्शे पर दर्शित है। पूरे खदान क्षेत्र में आर.एफ./पी.एफ. /राजस्व वन क्षेत्र /राजस्व गैर वन क्षेत्र/ निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा है इसकी जानकारी अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड की गई है।
4.	F(i) बिन्दु में निरंक लेख किया गया है परंतु केएमएल फ़ाइल के जाँच से यह प्रतीत होता है कि लोगों एवं रोड का व्यवस्थापन होगा । स्पष्ट करें।	खनन क्षेत्र की भूमि पर बसाहट है जिसका नियमानुसार R &R पॉलिसी के तहत व्यवस्थापन किया जाएगा। F(i) बिन्दु में जानकारी भरी गई है। खदान क्षेत्र से गुजरने वाले रोड का भी Diversion होगा जिसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रावधान किया गया है। विवरण अतिरिक्त जानकारी में अपलोड किया गया है।
5.	M-2 (vi) copy of the detailed land use plan in 1:4,000 scale prepared by using GPS	खदान का क्षेत्र काफी बड़ा होने के कारण Detailed Land use Plan in 1:10000

	Total station : 1:4,000के Resolution में detailed land use plan मयव.स.अ. अंतर्गत अधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें।	Scale में DGPS / total Station, का उपयोग करके बनाया गया है। व.स.अ. अंतर्गत अधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड किया गया है।
6.	M-2 (vii) copy of map of the outer boundary of mining lease area उक्त बिन्दु में लीज क्षेत्रफल 4765.430 हे. दर्शाया गया है। परंतु आवेदित वन क्षेत्र 94.293 हे. एवं गैर वन क्षेत्र 4687.505 हे. कुल 4781.798 हे. होता है। क्षेत्रफल 16.368 हे. का अंतर क्यों आ रहा है। स्पष्ट करें एवं सुधार कर पुनः अपलोड करें।	Kml फ़ाइल में सुधारकर अपलोड किया गया है। हालांकि यह देखा गया है कि विभिन्न सॉफ्टवेयर के उपयोग के साथ, कुल खान क्षेत्र में अंतर दिखाई दे सकता है।

7- अतिरिक्त जानकारी में,

1-	वन मंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित डीजीपीएस रिपोर्ट संलग्न करें।	वन मंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित डीजीपीएस रिपोर्ट संलग्न की प्रति अपलोड की गई है।
2-	वन क्षेत्र का विवरण सत्यापित प्रति अपलोड करें।	वन क्षेत्र के खसरावार विवरण की सत्यापित प्रति अपलोड की गई है। वन मंडलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की गई है।
3-	राजस्व वन क्षेत्र है तो पंजीयन हेतु कलेक्टर का अनापत्ति अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड करें।	कलेक्टर कोरबा से किए गए पत्राचार की प्रतियाँ अपलोड की गई हैं।
4-	पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क हेतु छ. ग. शासन के संलग्न पत्र क्रमांक /एफ़-7/22/209/10-2 रायपुर दिनांक 30.06.2012 अनुसार वन मंडलाधिकारी कटघोरा के नाम से डीडी बनाकर अपलोड करें।	डीडी क्रमांक 033319 Dt. 22.09.2020 & 033320 Dt. 22.09.2020 की छाया प्रति अपलोड की गई है।
5-	माइनिंग से संबंधित भारत सरकार तथा छ.ग. शासन से जो LOI जारी किए गए हैं उनकी सत्यापित प्रति अपलोड करें।	माइनिंग के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा जारी CBA(A&D) Act 1957 के तहत जारी नोटिफिकेशन की प्रतियाँ अपलोड की गई हैं।
6-	लैंडयूज प्लान अपलोड करें।	लैंडयूज प्लान अपलोड किया गया है।


 महाप्रबंधक
 General Manager
 एस.ई.सी.एल., गेवरा क्षेत्र
 SECL, Gevra Area